न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, अम्बेडकरनगर।
पीठासीन- मीरा गोठलवाल, उ०प्र० "उच्चतर न्यायिक सेवा"

सत्र परीक्षण संख्या-125/2023
CNR.No.-UPAN010024492023

C.No.-406/2023

उ०प्र०राज्य---- बनाम----वृन्द्रावती आदि।

दिनांक-05.04.2024

पुकारा पेश। पुकार पर अभियुक्त सुबास गौड़ जेल से उपस्थित एवं अभियुक्तगण रामअवध, वृन्द्रावती व शुभम् उपस्थित हैं, शेष की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के प्रार्थनापत्र कागज संख्या- 8 ब अन्तर्गत धारा- 227 दं०प्र०सं० के निस्तारण हेतु पेश है। उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्षों को सुना।

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या-8 ब-

प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं०- 8 ब अन्तर्गत धारा- 227 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, "प्रार्थीगण निर्दोष है, महज फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अंकित करवायी गयी है, विलम्ब का स्पष्टीकरण न होने से घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी स्वतंत्र साक्षी को नामित नहीं किया गया है, जिससे घटना सन्देहास्पद प्रतीत होती है इसलिए प्रार्थीगण के ऊपर आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि जितने भी साक्षी नामित किये गये हैं वो वादी मुकदमा के परिवार के सदस्य हैं, जो हितबद्ध साक्षी के श्रेणी में आते हैं। जिसके कारण घटना सन्देहास्पद प्रतीत होती है, जिससे आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण को वादी मुकदमा व उसके परिवार के द्वारा प्रार्थीगण के घर में घुसकर मारा - पीटा गया है, जिसके कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारीजन को गम्भीर चोटे आयी हैं। जिस कारण आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। जिस जमीन के बावत विवाद होना कहा जाता है कि वह राजस्व के अभिलेख में चकरोड अंकित है, जो लगभग 25 वर्ष पहले ग्राम सभा के प्रधान की निधि से मिट्टी पाट कर खण्डंजा लगवाया जा चुका है। ऐसी स्थित में विवाद का कोई औचित्य न होने के कारण घटना सन्देहात्मक प्रतीत होती है इसलिए प्रार्थीगण के ऊपर आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना रात की कही जाती है। रात में कैसे पहचाना गया इसका उल्लेख न होने के कारण घटना सन्देहात्मक प्रतीत होती है, इसलिए प्रार्थीगण के ऊपर आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोग काफी सरकश किस्म के लोग है, प्रार्थीगण की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करना चाहते थे, इसी का विरोध करने के कारण उपरोक्त मुकदमें में फर्जी तरीके से नामित कर दिया गया है। साक्ष्य के अभाव के कारण आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई मार पीट नहीं की गयी, बल्कि वादी मुकदमा का परिवार सत्ता में जुड़ा रहने के कारण फर्जी तरीके से मेडिकल

रिपोर्ट तैयार करवाकर उपरोक्त मुकदमें में वांछित करवा दिया गया है, जिससे प्रार्थीगण के ऊपर आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से सम्पूर्ण मुकदमें की केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य न होने के कारण आरोप विरचित नहीं किया जाना न्यायसंगत है। " अतः प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण को मुकदमा अपराध संख्या 57/2023 धारा 302, 336, 452, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 व 34 भा०दं०सं० व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर में आरोप से उन्मोचित करने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का मौखिक तौर से घोर विरोध किया गया है और कथन किया गया है कि जो तथ्य अभियुक्तपक्ष द्वारा उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्षित किया जा सकता है।अतः प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी पवन कुमार सिंह की तहरीरी दिनांकित- 25.03.2023 के आधार पर अभियुक्तगण सुबास गौड़, विवेक कुमार गौड़, शुभम् उर्फ मंगल गौड़, वृन्दावती व अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा- 302, 336, 452, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा थाना कटका अम्बेडकरनगर में दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण बृन्दावती, सुबास गौड़, विवेक कुमार गौड़, शुभम् उर्फ मंगल गौड़, राम अवध गौड़ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा - 302, 336, 452, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 व 34 भा०दं०सं० व 7 सी.एल.ए ऐक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के द्वारा मुख्य रूप से प्रार्थनापत्र 8 ब के माध्यम से यह आपत्ति की गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अंकित करवायी गयी है, विलम्ब का स्पष्टीकरण न होने से घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी स्वतंत्र साक्षी को नामित नहीं किया गया है, जितने भी साक्षी नामित किये गये हैं वे वादी मुकदमा के परिवार के सदस्य हैं, जो हितबद्ध साक्षी के श्रेणी मे आते हैं। घटना रात की कही जाती है रात में कैसे पहचाना गया इसका उल्लेख न होने के कारण घटना संदेहात्मक प्रतीत होती है। किसी प्रकार की कोई मार पीट नहीं की गई, बल्कि वादी मुकदमा का परिवार सत्ता मे जुड़ा रहने के कारण फर्जी तरीके से मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाकर उपरोक्त मुकदमें में वांछित करवा दिया गया है।

अभियुक्तपक्ष के द्वारा उठाए गए समस्त बिन्दु तथ्यात्मक प्रकृति के हैं, उनके सम्बन्ध में बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री को दृष्टिगत रखने पर यह विदित होता है कि पाँच चोटहिलगण के मेडिकल रिपोर्ट एवं मृतक सुनील कुमार सिंह की पोस्टमार्टम आख्या पत्रावली में संलग्न है। अभी अभियोजनपक्ष के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही अभियुक्तपक्ष के द्वारा ही साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। आरोप पत्र पर विवेचक द्वारा कुल 13 साक्षीगण बनाए गए हैं, जिनका परीक्षण न्यायालय के समक्ष होने से ही मामले का गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा। दौरान विचारण अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित कराए जाने हेतु साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित कराएँ जाएगे, जिनसे प्रतिपरीक्षा किये जाने का पूर्ण अवसर अभियुक्तपक्ष को रहेगा। साथ ही साथ

अभियुक्तगण को भी अपने बचाव में साक्षी प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा, जिनके उपरांत ही प्रार्थनापत्र 8 ब के संदर्भ में कोई भी उचित निष्कर्ष दिया जाना सम्भव है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में निम्न विधि का मत प्रतिपादित किया गया है-

कान्ती भद्रशाह बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए.आई.आर. 2000, एस.सी. 522 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बनाये जाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखना है।

ओमवती बनाम दिल्ली राज्य (2001) एस.सी.सी. 333 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि न्यायालय जब किसी अभियुक्त को उन्मोचित करे तब कारण दर्शित करना आवश्यक है, परन्तु जब आरोप विरचित करना हो, तो कारण दर्शित करना आवश्यक नहीं है।

प्रभुनाथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 (60) ACC 59 (इलाहाबाद) में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है।

सज्जन कुमार बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2010) 9 एस.सी.सी. पेज 368 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है-

1- आरोप विरचित करते समय न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य को सीमित उद्देश्य हेतु अवलोकन किया जाना वांछित है कि क्या उसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2- अभियुक्त के विरूद्ध यदि गम्भीर सन्देह न्यायालय के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा न दिया गया हो, तो भी न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है।

3- आरोप विरचित करने के स्तर पर न्यायालय अभियोजन पक्ष का माउथ पीस अथवा डाकघर की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले के विस्तृत संभावनाओं को ध्यान रखना चाहिए।

4- पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना संभावित है, तो इसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जाना चाहिए।

5- अभियुक्त को तभी उन्मोचित किया जाना चाहिए, जब उसके विरूद्ध लगाये आरोप पूर्णतया निराधार हों।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री को दृष्टिगत रखने पर यह विदित होता है कि अभियुक्तगण बृन्दावती, सुबास गौड़, विवेक कुमार गौड़, शुभम् उर्फ मंगल गौड़ व राम अवध गौड़ के विरूद्ध धारा- 302, 336, 452, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 व 34 भा०दं०सं० व 7 सी.एल.ए ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध हेतु आरोप विरचन करने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए तद्नुसार उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज सं०-8 ब निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण बृन्दावती, सुबास गौड़, विवेक कुमार गौड़, शुभम् उर्फ मंगल गौड़ व राम अवध गौड़ की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज सं०-8 ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक- **19.04.2023** को पेश हो। अभियुक्तगण आरोप विरचन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांक-**05.04.2023**

(मीरा गोठलवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चतुर्थ, अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड- UP1744

Digitally signed by MEERA GOTHALWAL
Date: 2024.04.05 19:37:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court